रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0-एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998/2 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 जुलाई, 1998

संख्या 1-63/98-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (सातवां संशोधन) विधेयक, 1998

(1998 का विधेयक संख्यांक 9) जो 24 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

1998 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (सातवां संशोधन) विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1998 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 6 के जो प्रथम जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

धारा 2 का संशोधन ।

1983 का 17.

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (घ) में, "1947" अंक के स्थान पर, "1988" अंक रखा जाएगा;

(ख) खण्ड (च) के उप-खण्ड (5) में, "1980" अंक के स्थान पर, "1994" अंक रखा जाएगा ;

(ग) खण्ड (च) के उप-खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(6) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994, द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित समझी जाने वाली किसी नगर परिषद् या नगर पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालक अधिकारी या सचिव;";

(घ) खण्ड (च) के उप-खण्ड (8) में, "1968" अंक के स्थान पर, "1994" अंक रखा जाएगा ;

(ङ) खण्ड (च) के उप-खण्ड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(9) तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसइटियों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी शीर्ष सोसाइटी की किसी प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य;";

(च) खण्ड (च) के उप-खण्ड (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"(10) तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य सोसाइटियों का, जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड का सदस्य ।"

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, पहली बार आए "लोक आयुक्त" शब्द से पूर्व, "धारा 15-क में यथा उपबन्धित के सिवाय," शब्द तथा चिन्ह रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (घ) में, "दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15-क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 15-क में, —

(क) सीमांत शीर्षक में, "प्रदान किया जाना" शब्दों के स्थान पर, "सौंपा जाना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-धाराओं (1) और (2) में, "प्रदान कर" शब्दों के स्थान पर, "सौंप" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उप-धारा (3) में, "प्रदान किए" और उप-धारा (5) में "प्रदत्त किए" शब्दों के स्थान पर, "सौंपे" शब्द रखा जाएगा ; और

(घ) उप-धारा (4) के खण्ड (ख) में, "कर्तव्यभार" शब्द के स्थान पर, "सौंपा जाना" शब्द रख जाएंगे ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, "9,000" अंक के स्थान पर, "30,000" अंक रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान लोक आयुक्त उच्च न्यायालय के सेवा निवृत मुख्य न्यायमूर्ति हैं । भारत के राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का 11) के प्रख्यापन के कारण, लोक आयुक्त को संदेय वेतन को, 1-1-1996 से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के बराबर लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। नगर पालिका और पंचायत अधिनियमों के पुनः अधिनियमिति के कारण उक्त अधिनियम में पारिणामिक संशोधन किए जाने भी अपेक्षित हैं । इसके अतिरिक्त, लम्बी अवधि के अवसान के पश्चात् शिकायतें दायर करने की सम्भावना को समाप्त करने के लिये यह वांछनीय है, कि शिकायत दायर करने की 10 वर्ष की अवधि को घटा कर 5 वर्ष कर दिया जाए। इसके साथ-साथ, अधिनियम की धारा 15-क के उपबन्धों को संगत बनाना भी आवश्यक है। अतः उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला............
...............1998

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6, लोक आयुक्त के वेतन को 1-1-96 से 9,000/- रुपए से बढ़ाकर 30,000/- रुपए प्रतिमास करने का उपबन्ध करता है। अतः इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर राजकोष में से प्रति वर्ष 4,33,760/- रुपए का (अनावर्ती) और 3,18,420/- रुपए का आवर्ती अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुछेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें ।

[नस्ति सं0 पर (विज) ए-4 (लोका) 4/98]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (सातवां संशोधन) विधेयक, 1998 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करन की सिफारिश करती हैं ।

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 1998

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला: .....
.....1998

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (SEVENTH AMENDMENT) BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (*Act No.* 17 *of* 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Seventh Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come into force at once except section 6 which shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

Amendment of section 2.

17 of 1983 **2.** In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act),—

(*a*) in clause (*d*), for the figure "1947", the figure "1988" shall be substituted;

(*b*) in sub-clause (5) of caluse (*f*), for the figure "1980", the figure "1994" shall be substituted ;

(*c*) for sub-clause (6) of clause (*f*), the following shall be substituted, namely:—

"(6) a President, Vice-President, Member, Executive Officer or Secretary of Municipal Council or Nagar Panchayat, constituted or deemed to be constituted by or under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994;";

(*d*) in sub-clause (8) of clause (*f*), for the figure "1968", the figure "1994" shall be substituted ;

(*e*) for sub-clause (9) of clause (*f*), the following shall be substituted, namely:—

"(9) a President or Vice-President or Member of any managing committee of an Apex Society incorporated or registered under the law relating to co-operative societies for the time being in-force;";

(*f*) for sub-clause (10) of clause (*f*), the following shall be substituted, namely:—

"(10) a President, Vice-President, Managing Director or a Member of the Board of Directors of such other co-operative societies incorporated or registered by or under law relating to co-operative societies for the time being in force as may be notified by the State Government from time to time."

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for the article "The" appearing in the beginning, the words and sign "Except as provided in section 15-A, the" shall be substituted.

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, in clause (*d*), for the words "ten years", the words "five years" shall be substituted.

Amendment of section 15-A.

5. In section 15-A of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading for the word "Conferment", the word "Entrustment" shall be substituted;

(*b*) in sub-sections (1) and (2), for the word "confer", the word "entrust" shall be substituted;

(*c*) in sub-sections (3) and (5), for the word "conferred", the word "entrusted" shall be substituted; and

(*d*) in clause (*b*) of sub-section (4), for the word "assignment", the word "entrustment" shall be substituted.

Amendment of Second Schedule.

6. In the Second Schedule of the principal Act, for the figure "9,000", the figure "30,000" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Lokayukta is a retired Chief Justice of High Court. Due to the promulgation of the High Court and Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1998 (11 of 1998) by the President on 24th April, 1998, it has become necessary to amend the H. P. Lokayukta Act, 1983 to bring the salary payable to Lokayukta at par with that of the Chief Justice of a High Court with effect from 1-1-1996. Consequential amendments are also required to be made in the said Act on account of the re-enactment of the Municipal and Panchayat Acts. Apart from this, to obviate the chances of filing the complaints after the lapse of long periods, it is desirable that the period of ten years prescribed for filing the complaints be reduced to a period of five years. In addition to this, it is also necessary to harmonise the provisions of section 15-A of the Act. Thus it has become necessary to amend the provisions of aforesaid Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
The.....1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 6 of the Bill provides for the increase, with effect from 1st January, 1996, of the salary of the Lokayukta from Rs. 9,000/- to Rs. 30,000/- per mensem. Thus the provisions of the Bill, when enacted, will involve an additional expenditure of Rs. 4,33,760/- (non-recurring) and recurring expenditure to the tune of Rs. 3,18,420/- per annum out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. Per (Vig.) A-4 (Loka) 4/98]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Lokayukta (Seventh Amendment) Bill, 1998, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (SEVENTH AMENDMENT) BILL, 1998

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:
The.....1998.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।